भास्कर ए. सावंत
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर– 302005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि० कार्या० : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाष: 0141–2740382–1318, फैक्स: 0141–2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: cmd@jvvnl.in, CIN: U40109RJ2000SGC016486

क्रमांकः अध्यक्ष डिस्कॉम्स/एमआईएस/पत्रा. /प्रे. 376 जयपुर, दिनांकः 22-09 2015

SE (IT)
P1. upload

दिशा निर्देश

"हर घर बिजली–डिस्कॉम आपके द्वार" कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 अगस्त व 13 सितम्बर–2015 को आयोजित शिविरों के बारे में रेण्डम आधार पर सभी क्षेत्रों के सरपंचों से आईपाक्ट के माध्यम से सेम्पल फीडबेक प्राप्त किया गया हैं। फीडबैक के दौरान 75 प्रतिशत से अधिक सरपंचों ने शिविरों के आयोजन को बहुत अच्छा व संतोषजनक बताया हैं, तथापि कुछ सरपंचों ने शिविरों के आयोजन व उसके परिलक्षित परिणामों के बारे में अपनी असन्तुष्टि जाहिर की है। उनसे इस बारे में विस्तृत वार्ता करने पर असन्तुष्टि के निम्न कारण ज्ञात हुये हैः–

1. समय पूर्व उन्हें शिविर के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
2. शिविर दिवस पर डिमाण्ड जमा होने पर भी सर्विस लाईन कनेक्शन जारी नहीं किये गये।
3. अभी भी पूरानी कनेक्शन की फाईले कनेक्शन हेतु लम्बित हैं।
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तगत कौन–कौनसी ढाणियां विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हो गई हैं, इनकी सूची शिविर स्थल पर प्रदर्शित नहीं की गई। ऐसी ढाणियों में कब कनेक्शन देना संभावित है, उनकी जानकारी नहीं दी गई।
5. घरलू कनेक्शन हेतु पूरानी जमा फाईलों के डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किये गये।
6. उनके क्षेत्र में बिजली की बार–बार ट्रिपिंग व ढीले तारों की समस्या का समाधान नहीं किया गया।
7. उनके क्षेत्र में अभी तक दुर्घटना सम्भावित तंत्र को भी नहीं सुधारा गया।
8. नया 33 केवी सब–स्टेशन चार्ज कर दिया है, परन्तु योजना अनुसार 11 केवी फीडरों को नये सब–स्टेशन से अभी तक नहीं जोडा गया हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं के समाधान व समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों पर तत्काल कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है, ताकि आगामी दो शिविरों में और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

सभी अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि अपने क्षेत्र के सभी सरपंचों से आगामी शिविरो के लिये तुरन्त स्वयं वार्ता करें, उन्हें शिविरों के बारे में पूरी जानकारी देकर उनका सहयोग प्राप्त करें तथा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व अन्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी लेकर समस्याओं का समयपूर्व ही समाधान करावें।

SE (IT), AVVNL, AJMER
R. R. No. 1678 Dt. 24/9/15
SECTION

अधीक्षण अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त फीडबैक के बिन्दुओं पर तुरन्त कार्यवाही की जावे, पुराने आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता पर हो तथा कैम्प में डिमाण्ड राशि जमा होने पर जहां तक सम्भव हो सभी सर्विस लाईन कनेक्शन उसी दिन जारी किये जावें। शेष रहे आवेदनों पर शिविर में ही ग्रामवार कनेक्शन देने की योजना प्रदर्शित की जावे व आगामी 10–12 दिनों में बकाया कार्य पूर्ण किया जावे।

आगामी कैम्पों के बाद पुनः सरपंचों व अन्य जन–प्रतिनिधियों से शिविरों के बारे में फीडबैक प्राप्त किया जावेगा। यदि इस प्रकार की शिकायतें पुनः प्राप्त हुई तो संबंधित सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभीयन्ता व अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर / जोधपुर ।
2. निदेशक (वित्त / तकनीकी), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, ...।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (   ), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (एमएम / डीडीयूजीवेवाई / पीपीएम / वाणिज्य / आईटी), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, ...।
5. अधीक्षण अभियंता (टी.डब्लू / आई.टी. / पवस), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, ...
6. सचिव (प्रशासन), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व / कंट्रोल / ....), / ओएसडी (एटीआर) जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
8. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
9. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. प्रावैधिक सहायक–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

22/9/2015

(टी.एस. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)